प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
प्र0सू0रि0 सं. ......142/22...................... दिनांक ......26/04/2022........

2.(i) अधिनियम........... भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें 7
(ii) अधिनियम..................भा.द.स.................................धारायें..
(iii) अधिनियम.. धारायें..
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या..........486..................... समय ......11:30 Am.
(ख) अपराध घटने का दिन सोमवार दिनांक :– 25.04.2022 समय ....01.50 पीएम ....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– .... समय ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– कस्बा परबतसर जिला नागौर ....
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– सीकर से पश्चिम दिशा में करीब 100 किलोमीटर
(ब) पता :– कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल ग्रहण विभाग एवं भू–सरंक्षण परबतसर नागौर के पास चौधरी राज ज्यूस एण्ड वाडीलाल आईस्क्रीम की दूकान।
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री संदीप कुमार
(ब) पिता/पति का नाम :– श्री घनश्यामदास
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– 31 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता– .... भारतीय ....
(य) पासपोर्ट संख्या ....
जारी करने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय :– पेशा ठेकेदारी ....
(ल) पता :– निवासी गांव दिलढाणी पुलिस थाना परबतसर जिला नागौर।................................

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
श्री शिवशंकर पुत्र श्री नाथूलाल, उम्र–44 वर्ष, जाति नाथ, निवासी वार्ड नं. 15 कुचामनसीटी जिला नागौर हाल कनिष्ठ अभियंता कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल ग्रहण विभाग एवं भू–सरंक्षण परबतसर जिला नागौर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–..
.... कोई देरी नहीं हुई ....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 15,000 रूपये.........................

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

दिनांक 26.01.2022 को समय करीब 9.53 एएम पर परिवादी संदीप कुमार ने अपने मोबाईल नम्बर 9413986152 से श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक को कॉल कर श्री शिवशंकर कनिष्ठ अभियंता जल ग्रहण एवं भू–सरंक्षण विभाग पंचायत समिति परबतसर जिला नागौर द्वारा रिश्वत मांगने तथा जेईएन को रिश्वत नहीं देकर उसे पकडवाने की कही, जिस पर उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को मुनासिब हिदायत दी जाकर परिवादी के चाहेनुसार दिनांक 27.01.2022 को समय 5.00 एएम पर कार्यालय के श्री मूलचन्द कानि. नं. 207 को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी से कस्बा परबतसर में सम्पर्क कर परिवादी को टेप चालू व बन्द करने की विधि समझाने तथा परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाने की हिदायत देकर रवाना किया गया तथा उप अधीक्षक पुलिस ने मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचन्द को मामले में अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

कार्यवाही पुलिस

27.01.2022

8.45 पीएम इस समय श्री मूलचन्द कानि. ने मन् सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक के समक्ष परिवादी श्री संदीप कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "मेरी रामावत कन्ट्रेक्शन कम्पनी के नाम से फर्म है। जल ग्रहण एवं भू–सरंक्षण विभाग परबतसर द्वारा वाटर सेड योजना के तहत टांका एवं ऐनीकेट निर्माण करने हेतु फर्म श्री गणेश कन्ट्रेक्शन कम्पनी बिल्लू के नाम से कार्यआदेश जारी किया गया था। उक्त फर्म के प्रतिनिधि श्री सुखराम निवासी बिल्लू जो, मेरे परिचित होने के कारण उन्होने मुझे उक्त कार्य करने को दिया था। मैने गांव जगदीशपुरा, जांवला, खेडी एवं खिंवसी मैं टांका निर्माण एवं ऐनीकेट निर्माण किया जिसके करीब 25 लाख रूपयों के बिलों का भुगतान दिलवाने हेतु मै श्री शिवशंकर योगी कनिष्ठ अभियंता जल ग्रहण एवं भू–सरंक्षण विभाग परबतसर जिला नागौर से मिला तो उन्होने मेरे से दो प्रतिशत कमीशन के हिसाब से कमीशन की मांग की। मेरे उक्त कार्य में करीब 6 टांके एवं दो एनीकेट का निर्माण कार्य शेष है। मेरे द्वारा किये गये उक्त कार्य से संबंधित करीब 25 लाख रूपयों के बिलों के भुगतान, जो मुझे प्राप्त हो चुका है, का भुगतान दिलाने के लिये उक्त श्री शिवशंकर जेईएन मेरे से दो प्रतिशत कमीशन की रिश्वत मांग रहा है। मै उसको रिश्वत देना नहीं चाहता हूँ और उसको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। रिपोर्ट देता हूँ कानूनी कार्यवाही करें।" एसडी–संदीप कुमार पुत्र श्री घनश्यामदास, जाति साद, निवासी गांव दिलढाणी पुलिस थाना परबतसर जिला नागौर दिनांक 27.01.2022, मोबाईल नम्बर 9413986152, एसडी–सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक दिनांक 27.01.2022

श्री मूलचन्द कानि. ने मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर बताया कि "कस्बा परबतसर में पहूँच मैने परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त किया तथा परिवादी को टेप रिकार्डर चालू व बन्द की विधि समझाकर हम दोनों भू–जल विभाग परबतसर के पास पहूँचे जहाँ मैने टेप रिकार्डर परिवादी को सुपुर्द कर दिया तथा परिवादी के वापिस आने पर मैने टेप रिकार्डर वापिस प्राप्त कर लिया। कानि. ने यह भी बताया कि परिवादी ने जेईएन को अपने साथ लेकर निर्माण कार्यो से संबंधित साईड पर जाकर वार्ता करने की कही। कानि. ने अताया कि परिवादी ने आईन्दा सम्पर्क कर कार्यालय में उपस्थित होने की कही है। टेप रिकार्डर को सुना गया तो परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद होती है। अतः परिवादी द्वारा कानि. को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुरक्षित आलमारी में रखा गया।

तत्पश्चात दिनांक 25.04.2022 को परिवादी श्री संदीप कुमार ने जरिये दूरभाष श्री शिवशंकर कनिष्ठ अभियंता जल ग्रहण एवं भू–सरंक्षण विभाग परबतसर जिला नागौर के विरूद्व कस्बा परबतसर पहूँच अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करवाने की कही, जिस पर कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी सीकर से स्वतंत्र गवाहान श्री गजेन्द्र सिंह एवं श्री पूर्णसिंह कनिष्ठ सहायकगण को तलब किया गया। तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी मालखाना से निकलवाई जाकर उसे प्राईवेट वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाई जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस को ईमदाद हेतु हमरा लेकर मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचन्द मौतवीरान श्री गजेन्द्र सिंह एवं श्री पूर्णसिंह कनिष्ठ सहायकगण कार्यालय स्टॉफ के श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, श्रीमती सुशीला महिला कानि. नं. 107, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386, श्री रामनिवास कानि. नं. 485, श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10, श्री मूलचन्द कानि. नं. 207, श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक नं. 371 के मय ट्रेप बाक्स एवं लैपटाप, परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड हमरा लेकर जरिये सरकारी एवं प्राईवेट वाहन के परबतसर के लिये रवाना होकर कस्बा परबतसर से पहले मेगाहाईवे पर नारायणपुरा पूलिया के पास पहूँचा जहाँ परिवादी संदीप कुमार मौजूद मिला, मौके पर मुख्य सड़क के किनारे वाहनों को साईड में रूकवाकर परिवादी संदीप कुमार से पूछताछ की गई तो परिवादी ने एक दो दिन पहले आरोपी जेईएन से मिलने तथा जेईएन द्वारा कमीशन के रूपये मांगने की कही। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी ने दिनांक 27.01.2022 को श्री मूलचन्द कानि. को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की ताईद करते हुये आरोपी शिवशंकर जेईएन से पूर्व का कोई उधार लेनदेन एवं आपसी रंजिश से ईन्कार किया। परिवादी संदीप कुमार का दोनों गवाहान से आपस में परिचय करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व समझाया जाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामले में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई।

तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश देने पर परिवादी संदीप कुमार ने आरोपी श्री शिवशंकर कनिष्ठ अभियंता जल ग्रहण एवं भू–सरंक्षण विभाग परबतसर जिला नागौर को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले पॉच–पॉच सौ रूपयों के 30 नोट कुल 15,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :–

1–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8ES 359433
2–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8ES 359434
3–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1TB 999181
4–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4PK 005413
5–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8WV 828898
6–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2CN 961382
7–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2CN 961383
8–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2CN 961378
9–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7DA 356884
10–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6AM 130930
11–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5MF 755025
12–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2AQ 082923
13–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0AS 260138
14–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5GB 805045
15–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4AB 746993
16–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1MV 974137
17–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8FS 345828
18–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5SL ,714842
19–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1CV 883068
20–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7SP 384172
21–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3GH 723561
22–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9AU 190298
23–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3VT 267248
24–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7GT 182980
25–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9BH 140232
26–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5SD 506585
27–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9EW 968241
28–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6ND 176885
29–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7UD 010308
30–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5SG 865745

फिनोफ्थलीन की शीशी प्राईवेट वाहन के डेस्क बोर्ड से निकलवाई जाकर उपरोक्त समस्त नोटों पर श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। गवाह श्री पूर्णसिंह से परिवादी संदीप कुमार की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 15,000 रूपयों के नोट श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की बांई जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई। परिवादी को आरोपी द्वारा मांग किये जाने पर पाऊडर लगे रूपये निकालकर उसे देने तथा आरोपी द्वारा रिश्वत स्वीकार कर प्राप्त कर लेने के बाद अपने मोबाईल फोन नम्बर 9413986152 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 9079554697 पर मिस कॉल देकर ईशारा करने अथवा अपने सिर पर हाथ फेरकर इशारा करने की हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनो पाऊडरों की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 से प्राईवेट वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाई गई। गिलास के घोल को फेंक कर कांच के गिलास को श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 के जरिये साफ पानी व साबुन से साफ करवाया गया। परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय का दूसरा डिजिटल टेप रिकार्डर

मय मेमोरी कार्ड के परिवादी संदीप कुमार को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 को प्राईवेट वाहन में मुकिम रहने की मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की गई। बाद उपरोक्त कार्यवाही मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी को उसकी मोटरसाईकल सहित साथ लेकर रवाना होकर कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल ग्रहण विभाग एवं भू–सरंक्षण परबतसर जिला नागौर के पास पहूँच परिवादी को उसकी मोटरसाईकल से रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के कार्यालय जल ग्रहण विभाग एवं भू–सरंक्षण परबतसर के आस–पास परिवादी के तय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ।

समय करीब 1.50 पीएम पर कस्बा परबतसर में कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल ग्रहण विभाग एवं भू–सरंक्षण परबतसर जिला नागौर के सामने मुख्य सड़क पर वाहन में मुकिम मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी के साथ एक व्यक्ति कार्यालय के मुख्य गेट से बाहर आकर पास में उत्तर दिशा की तरफ बनी दूकान में जाकर बैठे दिखाई दिये तथा परिवादी द्वारा मिस कॉल दिये जाने का तय ईशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने हमराहीयान पार्टी को साथ लेते हुये उक्त चौधरी राज ज्यूस एण्ड वाडीलाल आईस्क्रीम की दूकान में पहूँचा जहॉ परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को टेप रिकार्डर सुपुर्द कर अपने पास कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि ''यही शिवशंकर जईएन है जिन्होने अभी–अभी मेरे से 15000 रूपये अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखे है।'' रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर उक्त श्री शिवशंकर जेईएन का बायां हाथ श्री दलीप कुमार कानि. तथा दाहिना हाथ श्री मूलचन्द कानि. से कलाईयों के उपर से पकडवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो इसने घबराते हुये अपना नाम श्री शिवशंकर कनिष्ठ अभियंता कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल ग्रहण विभाग एवं भू–सरंक्षण परबतसर जिला नागौर होना बताते हुये बताया कि'' इसने रूपये ऐसे ही डाल दिये'' मौके पर परिवादी ने आरोपी जेईएन के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि ''मैने रूपये जबरदस्ती नहीं डाले है, इन्होने मेरे बिलों का भुगतान दिलाने की एवज में दिनांक 27. 01.2022 को एक प्रतिशत कमीशन की मांग की तब मैने मेरे 25 लाख रूपयों के एक प्रतिशत के हिसाब से 10,000 रूपये उसी दिन दे दिये तथा शेष 15000 रूपये इनको आज कार्यालय में देना चाहा तो इन्होने बाहर चलने की कही तथा इस दूकान पर आने के बाद मैने इनको रिश्वत के 15000 रूपये दिये है'' मौके पर भीड–भाड एकत्रित होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से उक्त श्री शिवशंकर कनिष्ठ अभियंता को उपरोक्त दोनों कानिगण के द्वारा उसके दोनों हाथों को कलाईयों के उपर से पकडे हुये को, उसी स्थिति में वाहन में बैठाया जाकर समय 2. 05 पीएम पर पुलिस थाना परबतसर जिला नागौर पहूँच अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई।

तत्पश्चात दो कॉच के गिलासों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर थोडा–थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री शिवशंकर कनिष्ठ अभियंता के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी श्री शिवशंकर कनिष्ठ अभियंता के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैलासा हो गया। उक्त दोनों हाथों के धोवन को अलग–अलग दो–दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा–आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर–1 एंव आर–2 से तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क एल–1, एल–2 से सील्ड किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार आरोपी श्री शिवशंकर कनिष्ठ अभियंता ने अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखे पॉच–पॉच सौ रूपयों के नोटों की थेई निकालकर पेश की, जिनको गवाह श्री गजेन्द्रसिंह से गिनवाया गया जो कुल 15,000 रूपयों के नोट पाये गये। इन नोटो के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरूप पाये गये। बरामद शुदा नोटो के नम्बर मौके पर बनाई गई फर्द में अंकित करवाकर समस्त कुल 15,000 हजार रूपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री शिवशंकर कनिष्ठ अभियंता को दूसरी पेन्ट उपलब्ध करवाकर उसकी पहनी हुई पेन्ट को उतरवाकर पेश की। तत्पश्चात श्री मूलचन्द कानि. के दोनों हाथों एवं एक कांच के गिलास को साबून व पानी से धुलवाकर

गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला उस रंगहीन घोल में आरोपी श्री शिवशंकर कनिष्ठ अभियंता की पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब, जिसमें से रिश्वती राशि बरामद की गई, को उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबून पानी से धुलवाकर उनमें आधा–आधा डलवाकर भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क पी–1 एंव पी–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री शिवशंकर कनिष्ठ अभियंता की पेन्ट की जेबों की तलाशी लिवाई गई तो पेन्ट की पीछे की जेब में 1380 रूपये पाये गये जिनके बारें में पूछने पर आरोपी श्री शिवशंकर कनिष्ठ अभियंता ने स्वयं के होना बताया। उक्त 1380 रूपयों को आरोपी श्री शिवशंकर कनिष्ठ अभियंता को सुपुर्द किया गया। आरोपी श्री शिवशंकर कनिष्ठ अभियंता की उक्त पेन्ट बरंग निली जिन्स की सामने की दाहिनी जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड करवाकर पैकेट पर मार्क ''ए'' अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री शिवशंकर कनिष्ठ अभियंता को परिवादी के बिलों के भुगतान के बारे में पूछा तो बताया कि ''इसके द्वारा 02 एनीकट एवं 38 टांके निर्माण कार्य किये गये थे, जिनमें से इनको अब तक कुल 38 टांकों का भुगतान किया जा चुका है तथा इनके द्वारा 2 एनीकट का कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण भुगतान नहीं किया गया है तथा इनकी एमबी भी अभी तक नहीं भरी गई है।'' परिवादी को भुगतान किये गये बिलों को तलब किया जाकर अवलोकन किया गया तो कुल 38 टांको के 34,08,051 रूपयों के भुगतान से संबंधित कुल 04 बिल पाये गये। उक्त बिलों की फोटो प्रति करवाई जाकर आरोपी श्री शिवशंकर जेईएन से प्रमाणित करवाई जाकर कब्जा पुलिस लिये गये। मूल बिल श्री गबरचन्द कम्प्यूटर ऑपरेटर को सुपुर्द किये गये। दौराने ट्रेप कार्यवाही लिये गये धोवन की सील्ड शीशीयां मार्क आर–1, आर–2, एल–1, एल–2, पी–1, पी–2, सील्ड रिश्वती राशि के कागज एंव सील्ड पेन्ट के पैकेट मार्क ''ए'' पर मुतालकीन के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी रखा गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द बरामदगी रिश्वती नोट मौके पर तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी श्री शिवशंकर कनिष्ठ अभियंता कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल ग्रहण विभाग एवं भू–सरंक्षण परबतसर जिला नागौर को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल हस्ब कायदा प्रथक से तैयार किया गया।

तत्पश्चात परिवादी श्री संदीप कुमार द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 27.01.2022 को आरोपी श्री शिवशंकर कनिष्ठ अभियंता जल ग्रहण एवं भू–सरंक्षण विभाग परबतसर जिला नागौर से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया। जिसको परिवादी एवं उपरोक्त गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से सीडी तैयार कर अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''बी'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी संदीप कुमार ने स्वंय की व आरोपी श्री शिवशंकर कनिष्ठ अभियंता जल ग्रहण एवं भू–सरंक्षण विभाग परबतसर जिला नागौर की आवाजों की पहचान की।

तत्पश्चात परिवादी श्री संदीप कुमार द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 25.04.2022 को आरोपी श्री शिवशंकर कनिष्ठ अभियंता जल ग्रहण एवं भू–सरंक्षण विभाग परबतसर जिला नागौर से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया। जिसको परिवादी एवं उपरोक्त गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से सीडी तैयार कर अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''सी'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी संदीप कुमार ने स्वंय की व आरोपी श्री शिवशंकर कनिष्ठ अभियंता जल ग्रहण एवं भू–सरंक्षण विभाग परबतसर जिला नागौर की आवाजों की पहचान की। मौके की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। परिवादी को मौके पर छोडा जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान

पार्टी मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री शिवशंकर जेईएन व जप्त शुदा वजह सबूत माल व रिकार्ड हमराह लेकर परबतसर से रवाना होकर बाद स्वास्थ्य परीक्षण आरोपी जेईएन को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना उद्योगनगर में जमा करवाया जाकर एसीबी चौकी सीकर पहूँचा। जप्त शुदा माल वजह सबूत सुरक्षित हालत में जमा मालखाना करवाया गया।

की गई कार्यवाही से आरोपी श्री शिवशंकर पुत्र श्री नाथूलाल, उम्र–44 वर्ष, जाति नाथ, निवासी वार्ड नं. 15 कुचामनसीटी जिला नागौर हाल कनिष्ठ अभियंता कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल ग्रहण विभाग एवं भू–सरंक्षण परबतसर जिला नागौर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी श्री संदीप कुमार से उसके द्वारा वाटर सेड योजना के तहत टांका एवं ऐनीकेट के निर्माण किये गये कार्यो के करीब 25 लाख रूपयों के बिलों का भुगतान दिलाने के एवज में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 27.01.2022 को परिवादी से एक प्रतिशत कमीशन के रूप में 25000 रूपये बतौर रिश्वत की मांग करना तथा मांग सत्यापन के दौरान परिवादी से 10,000 रूपये प्राप्त करना तथा मांग के अनुशरण में दिनांक 25.04.2022 को शेष 15,000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। आरोपी श्री शिवशंकर कनिष्ठ अभियंता कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल ग्रहण विभाग एवं भू–सरंक्षण परबतसर जिला नागौर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपी श्री शिवशंकर कनिष्ठ अभियंता कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल ग्रहण विभाग एवं भू–सरंक्षण परबतसर जिला नागौर के विरूद्व उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

(सुरेशचन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेशचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री शिवशंकर कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल ग्रहण विभाग एवं भू-सरक्षंण परबतसर, जिला नागौर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 142/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

26.4.22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 1254-58 दिनांक 26.04.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।